न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपीलनम्बर 797/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00875)

1. एम.आर. मोरारका–जीडीसी रूरल रिसर्च फाउन्डेशन कार्यालय वाटिका रोड़, टोंक रोड़, जयपुर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जे. डी. माथुर, निवासी पलेट नम्बर 401, डी–248, हरे कृष्णा अपार्टमेंट, बिहारी मार्ग, बनीपार्क, जयपुर ।

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर (वसूली) जयपुर ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जयपुर ।

–रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 23ए राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट, 1952 विरूद्ध निर्णय जिला कलेक्टर (वसूली) जयपुर दिनांक 12–7–2013 (केस नम्बर 03/2013)

उपस्थित–

1. श्री हेमन्त सोगानी वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–18.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर वसूली, जयपुर के निर्णय दिनांक 12.07.2013 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. अपील का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलांट एम.आर. मोरारका–जीडीसी रूरल रिसर्च फाउन्डेशन को भारत सरकार की स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत् कम्युनिटी फैसेलिटी सेन्टर स्थापित कर वर्मी कम्पोस्ट के माध्यम से कृषि उत्पादन किये जाने के क्रम में राशि 37,50000/– रूपये दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा की गई जॉच में योजनान्तर्गत वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन निष्फल रहने की दशा में कार्यालय जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जयपुर पी.डी.एक्ट के तहत वसूली लोटाये जाने बाबत् पत्राचार किये जाने के बाद अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर(वसूली), जयपुर के द्वारा पिटीशनर के विरूद्ध बकाया राशि 37,50000/– रूपये की वसूली हेतु पी.डी.आर एक्ट के तहत प्रकरण में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये।

3. जिला कलक्टर (वसूली) जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 12.07.2013से व्यथित होकर अपीलान्ट एम.आर. मोरारका–जीडीसी रूरल रिसर्च फाउन्डेशन कार्यालय वाटिका रोड़, टोंक रोड़, जयपुर द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने

संभागीय आयुक्त
जयपुर

एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर (वसूली) जयपुर दिनांक 12.07.2013निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया किजिला कलक्टर (वसूली) द्वारा तथाकथित पब्लिक डिमाण्ड की वसूली हेतु आदेश पारित किया गया है ऐसी किसी राशि की वसूली का राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट, 1952 में कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जयपुर ने दिनांक 13–5–2013 को राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट, 1952 की धारा 4 के अन्तर्गत जो सर्टीफिकेट अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर (वसूली) जयपुर को प्रस्तुत किया उसमें जिस मद की राशि को पब्लिक डिमाण्ड होना दर्शाया गया उसमें मात्र यह अंकित किया गया कि वर्मी कम्पोस्ट की बीस सीएफसी स्थापित करने बाबत। ऐसी किसी वर्मी कम्पोस्ट की बीस सीएफसी स्थापित करने बाबत् किसी राशि को ना तो पब्लिक डिमाण्ड होना माना जा सकता है और ना ही राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट, 1952 के अन्तर्गत ऐसी किसी राशि की वसूली की कोई कार्यवाही की जा सकती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् (ग्राम विकास प्रकोष्ठ) जयपुर से सर्टीफिकेट प्राप्त होने से राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट, 1952 की धारा 6 के अन्तर्गत जो नोटिस दिनांक 13–5–2013 को अपीलार्थी को प्रेषित किया गया और जो नोटिस दिनांक 31–5–2013 को अपीलार्थी को प्राप्त हुआ उसमें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थिति की कोई तारीख अंकित ही नहीं है। दिनांक 5–6–2013 को ही प्रार्थी ने जिला कलेक्टर (वसूली) जयपुर के समक्ष अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दिया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई हेतु कोई तारीख पेशी अंकित नहीं की और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित फरमा दिया जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। वास्तव में राजस्थान राज्य सरकार अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् की किसी भी प्रकार की कोई राशि अपीलार्थी की ओर बकाया नहीं है। भारत सरकार की स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत कम्युनिटी फैसेलिटी सेन्टर स्थापित कर वर्मी कम्पोस्ट के माध्यम से कृषि उत्पादन किये जाने के क्रम में जो 37,50,000 / –रु. की राशि अपीलार्थी को दी गई थी वह सम्पूर्ण राशि अपीलार्थी ने कम्युनिटी फैसेलिटी सेन्टर (सीएफसी) स्थापित करने में व्यय की और अपनी ओर से भी राशि उसमें लगाई जिसका अपीलार्थी ने यूटीलाईजेशन सर्टीफिकेट संबंधित विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया और विभाग ने खर्च की गई राशि को उचित होना माना उसके पश्चात् जब कोई राशि अपीलार्थी की ओर बकाया ही नहीं है तब किसी राशि की कोई वसूली अपीलार्थी से नहीं की जा सकती परन्तु फिर भी विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है।अपीलार्थी की ओर राज्य सरकार की कोई राशि बकाया नहीं है, अपीलार्थी ने राजहित में वह सम्पूर्ण कार्य पूर्ण किये हैं जिन्हें पूर्ण करने हेतु अपीलार्थी को जिला परिषद् द्वारा आमंत्रित किया गया था एवं दोनों के मध्य अनुबन्ध द्वारा स्वीकृत किया गया था। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने मुख्य सचिव को जो तथाकथित बकाया राशि के संबंध में अभ्यावेदन दिनांक 7–6–2013 को प्रस्तुत किया था उसके क्रम में वित्तीय सलाहकार ने दिनांक 26–7–2013 को शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के कक्ष में एक बैठक आमंत्रित की परन्तु उसके पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित फरमा दिया। प्रार्थी को स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत कम्युनिटी फैसेलिटी सेन्टर स्थापित कर वर्मी कम्पोस्ट के माध्यम से कृषि उत्पादन किये जाने के क्रम में जो 37,50,000 / –रु. की राशि अपीलार्थी को दी गई थी वह सम्पूर्ण राशि अपीलार्थी ने

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कम्युनिटी फैसेलिटी सेन्टर (सीएफसी) स्थापित करने में व्यय की और अपनी ओर से भी राशि उसमें लगाई जिसका अपीलार्थी ने यूटीलाईजेशन सर्टीफिकेट संबंधित विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया और विभाग ने खर्च की गई राशि को उचित होना माना उसके पश्चात् जब कोई राशि अपीलार्थी की ओर बकाया ही नहीं है तब किसी राशि की कोई वसूली अपीलार्थी से नहीं की जा सकती परन्तु फिर भी विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सूचना, सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील के कथनो का विरोध करते हुये कथन किया कि अपीलांट एम.आर. मोरारका–जीडीसी रूरल रिसर्च फाउन्डेशन कार्यालय वाटिका रोड, टोंक रोड, जयपुर को भारत सरकार की स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत् 100 कम्युनिटी फैसेलिटी सेन्टर स्थापित कर वर्मी कम्पोस्ट के माध्यम से कृषि उत्पादन किये जाने के क्रम में राशि 37,50000/– रूपये अग्रिम दी गई थी। जिसके बाबत् अपीलांट द्वारा 20 सीएफसी ईकाई स्थापित की गई जिसकी राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा की गई जाँच की गई। जाँच में योजनान्तर्गत वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन असंतोषप्रद निष्फल रहने की दशा में कार्यालय जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जयपुर पी.डी.एक्ट के तहत वसूली लोटाये जाने बाबत् पत्राचार किये जाने के बाद अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर (वसूली), जयपुर के द्वारा पिटीशनर के विरूद्व बकाया राशि 37,50000/– रूपये की वसूली हेतु नियमानुसार पी.डी.आर एक्ट के तहत प्रकरण में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये। जो कि उचित व विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि एम. आर. मोरारका–जीडीसी रूरल रिसर्च फाउन्डेशनएक पंजीकृत प्रन्यास है जिसमें वर्मी कल्चर तकनीक से कृषक रासायनिक खाद व जहरीले पेस्टीसाईड के स्थान पर प्राकृतिक ऑर्गेनाइज पद्धति से फसल पैदा करने की स्थिति में सरकार की स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना एस.जी.एस.वाई. के तहत 100 ईकाई स्थापित कर वर्मी कम्पोस्ट के माध्यम से कृषि उत्पादन किये जाने के क्रम में राशि 37,50000/–रूपये अग्रिम दी गई थी। जॉच कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार बर्मी कम्पोस्ट योजनान्तर्गत स्थापित सीएफसी को सही ढंग से देखरेख नहीं करने एवं स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण देने, बैठके आयोजित करने, उनका रिकॉर्ड संधारित करने, उनको योजना में सम्मिलित करने, आदि का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाने से कार्य असंतोषप्रद माना जाकर सीएफसी व्यय राशि निष्फल मानी जाकर वसूली की कार्यवाही की गई एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् (ग्राम विकास प्रकोष्ठ) जयपुर द्वारा राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट, 1952 की धारा 6 के अन्तर्गत अपीलांट को नोटिस प्रेषित किया गया। प्रकरण में प्रार्थी/विभाग द्वारा अप्राथी/बाकीदार की तरफ निकाली गई वसूली योग्य राशि का न तो तो कोई ठोस तथ्यों एवं कथनों के आधार पर प्रतिवाद ही किया गया है तथा न हीऐसा कोई ठोस आधारभूत कथन एवं तथ्य पेश किया है, जो आधार हो सकता हो। पीडीआर एक्ट के इस प्रकरण में मियाद अधिनियम लागू नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर (वसूली) जयपुर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2013 पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः आदेश है कि: अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर (वसूली) जयपुर द्वारा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2013 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।